आदेश पत्र

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है।

9.9.20 पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त पर्याप्त अवसर दिये गये। जवाब के पर्याप्त अवसर उपरान्त भी अप्रार्थी 2 से 5 तथा 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर अप्रार्थी 2 से 5 व 7 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी क्रम 6 व 8 से 10 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य, वर्णित कथन, वांछित अनुतोष पर सम्यक विचार किया गया।	
प्रार्थी द्वारा अपने प्रा० पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी नम्बर 2 से 10 को पाबंद आदेश पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के लीज क्षेत्र की चार दीवारी के अन्दर प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व में हस्तक्षेप नहीं करें उक्त कार्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें।	
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर अवसर देने के उपरान्त भी न तो जवाब प्रस्तुत किये और न ही अपने कथनों के समर्थन में कोई तथ्य अथवा प्रार्थी के कथनों के खंडन में कोई तथ्य या दस्तावेज ही पेश किया।	
हमने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर विचार किया। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया।	
हाब लीज डीड एवं नक्शा लीज डीड उक्त प्रा० पत्र वर्णित भूमि का नक्शा प्रार्थी की लीज एरिया के भीतर दर्शाया हुआ है। इस न्यायालय के पूर्व आदेश मि० नं० 58/04 बं० उनवानी देवलाल बनाम R.S.I. कम्पनी में निर्णय दिनांक 14.10.08 से देवनाथ जो कि अप्रार्थी नं० 2 से 6 के पिता/पति है, को आवंटित खा० नं० की भूमि को प्रार्थी की लीज एरिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	को छोड़कर दाखिल देने के आदेश पारित किये जा चुके थे। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी के लीज क्षेत्र में नहीं होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतीत होता है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी 5) रकबा 10 बीघा का नया कब्ज़ा प्रार्थी के लीज क्षेत्र क्षेत्र के अन्दर दर्शा देने से वह सेम अप्रार्थी की भूमि नहीं मानी जा सकती/ यह भी यह तथ्य साक्ष्य का विषय है। प्रकरण में यह तय है, कि प्रार्थी के लीज सीमा पर अप्रार्थीगण का कोई स्वत्व नहीं है एवं निर्णय में भी अप्रार्थी के पक्ष दखलान दर्ज को प्रार्थी के क्षेत्र से बाहर कब्ज़ा देने के आदेश हैं लीज क्षेत्र की भूमि तान खसरा नम्बर 149 रकबा 1.62 हे० पर अप्रार्थीगण 2ता 10 का कोई कब्ज़ा नहीं है/ उक्त तथ्य तहसीलदार रा० मण्डी की रिपोर्ट एवं ख०नं० 149 के आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही नियम 14(4) से करने से प्रकट होते थे। रिपोर्ट की प्रति शामिल मिसल थे। ख० नं० 149 रकबा 1.62 हेक्टर पर बिना स्वत्व व कब्ज़े के अप्रार्थी प्रार्थी के लीज क्षेत्र में मदाखलत बेजाहस्त उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
होते हैं, तो इससे प्रार्थी को ही असुविधा होगी। बेल सेरल्ड पजेशन से यदि प्रार्थी को बेदखल कर अप्रार्थीगण कब्जा कर लेते हैं तो इससे प्रार्थी को ही असुविधा होगी। प्रकरण वर्णित भूमि पर अप्रार्थी का न तो कब्जा है, और न अप्रार्थी० उक्त भूमि, जो प्रार्थी के लीज एरिया में नक्शे में दर्शाई गई है, वह अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि होना नहीं पाई जाती है। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के लीज एरिया में प्रवेश कर मदाखलत मजाहमत की जाती है, तो इससे प्रार्थी को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन सम्भव ही नहीं है। अतः अपूरणीय क्षति का तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थी को या अप्रार्थीगण को प्रकरण में क्या हको हकूक अख्त्यार है? इसका विनिश्चय दावा में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थना-पत्र के कथनाधार पर। प्रकरण के प्रारंभ से अन्त तक मनन, विश्लेषण किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्थाई आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म मैं
	की शर्त-पत्र पर पारित गयी। गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना-पत्र पत्र में यह पाया जाता है, कि प्रार्थी के लीज ऐरिया के अन्दर बाउन्ड्री हो रही थी पूर्व निर्णय एवं माननीय सिविल न्यायालय रामगंजमण्डी के प्रकरण CS.35/12 निर्णय दि. 2.11.13 में भी प्रार्थी को अप्रार्थी० के विरुद्ध व्यादेश प्रदान किया हुआ है। प्रकरण के दस्तावेजात के अवलोकन एवं बहस सुनने के उपरान्त हम प्रा० पत्र प्रार्थी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते थे। अतः प्रा० पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि अप्रार्थीगण ग्राम कुम्भकोट की भूमि ख०नं० 149 रकबा 1.62 हे० के मौके एवं रिकार्ड की यथा-स्थिति दावा के निस्तारण पर्यन्त बनाये रखें। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर दावा के साथ संलग्न रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 9.9.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	